सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 कार्तिक, 1945 (श०)

संख्या - 35 राँची, बुधवार

25 अक्टूबर, 2023 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 407- 433

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

पूरक "अ"

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

16 अक्टूबर, 2023

संख्या-14/ए0-107/2014-4724–अधिसूचना संख्या-6908, दिनांक-24.11.2015 के द्वारा श्री निखिलानन्द दास, सम्प्रति सेवानिवृति पुलिस उपाधीक्षक के विरूद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया था- "एक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक ।''

उक्त आदेश को विभागीय अधिसूचना संख्या-6595, दिनांक-21.11.2017 के द्वारा अपरिवर्तित रखा गया ।

उक्त संदर्भ में LPA No.-333/2022 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम निखिलानन्द दास मामले में पारित आदेश के आलोक में श्री दास के विरूद्ध द्वितीय कारण पृच्छा (Fresh notice) निर्गत किए जाने से लेकर तत्संबंधित कार्रवाई को पूर्ण किए जाने तक अधिसूचना संख्या-6908, दिनांक-24.11.2015 तथा अधिसूचना संख्या-6595, दिनांक-21.11.2017 के माध्यम से निर्गत आदेश को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है ।

2. उपर्युक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रविशंकर विद्यार्थी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

16 अक्टूबर, 2023

संख्या-14/ए0-06/2019-4723--श्री किशोर कुमार रजक, रा०पु०से०, तत्कालिन पुलिस उपाधीक्षक, एस०आई०आर०बी०-02, खूँटी के द्वारा सोशल मिडिया (फेसबुक) पर स्थानांतरण संबंधी सरकार के निर्णय के विरूद्ध अवांछनीय टिप्पणी करने संबंधी आरोपों के लिए संकल्प संख्या-3684, दिनांक-27.09.2021 के द्वारा विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया ।

जाँच के क्रम में श्री रजक द्वारा आरोपों का खण्डन करते हुए फेसबुक अकाउन्ट किन्हीं अन्य के द्वारा संचालित होने का उल्लेख किया गया । आरोपों के संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया कि इतने गंभीर मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज नहीं करने से प्रतीत होता है कि प्रासंगिक फेसबुक अकाउन्ट, श्री रजक के द्वारा संचालित किया जा रहा था। उन्होने मिटा दिया । विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री किशोर रजक, रा०पु०से० तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, एस०आई०आर०बी०-02, खूँटी के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाया गया ।

अतः प्रमाणित आरोपों के लिए श्री रजक को झारखण्ड सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली, 2016 के नियम-14 (IV) के आलोक में असंचात्मक प्रभाव से दो (02) वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड अधिरोपित करते हुए संकल्प संख्या-3684, दिनांक-27.09.2021 का एतद् द्वारा निस्तार किया जाता है ।

उपर्युक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव ।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

अधिसूचना

10 अक्टूबर, 2023

संख्या-03/कृ०रा०यो०-06/2021-3494–कृ०, राज्य योजना के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य उद्यान प्रोमोशन सोसायटी एवं चैम्बर ऑफ फार्मर्स योजनान्तर्गत 'चैम्बर ऑफ फार्मर्स' का गठन से संबंधित "चैम्बर ऑफ फार्मर्स जिला स्तरीय सहयोग समिति लि0 की उपविधियाँ" (प्रति संलग्न) संसूचित की जाती है ।

2. उक्त पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-15.07.2022 को सम्पन्न बैठक में मद सं0-53 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

अनु०-यथोक्त ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अबुबक्कर सिद्दीख पी०,
सरकार के सचिव ।

अनुलग्नक-।

चैम्बर ऑफ फार्मर्स जिला स्तरीय सहयोग समिति लि0 की उपविधियाँ

1. **नाम और पता :** यह समिति, जिसका निबंधन झारखण्ड सहकारी अधिनियम 1935 (अंगीकृत) यथा संशोधित 2011 एवं 2015 के अन्तर्गत एक जिला स्तरीय निबंधित सहकारी समिति के रूप में हुआ है। इसे संक्षिप्त रूप में 'चैम्बर ऑफ फार्मर्स' के नाम से संबोधित किया जायेगा ।

2. इस समिति का निबंधित पता- चैम्बर ऑफ फार्मर्स जिला स्तरीय सहयोग समिति लि0,
..... होगा ।

निबंधित पता में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर 15 दिनों के अन्दर निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं वित्त प्रदायी संस्थाओं को सूचित कर दिया जायेगा। साथ ही कम से कम एक स्थानीय समाचार पत्र में भी उक्त आशय की सूचना प्रकाशित की जायेगी

समिति के समस्त कागजातों पर समिति के नाम के साथ-साथ निबंधन संख्या तथा झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 (अंगीकृत), यथासंशोधित 2011 एवं 2015 सुस्पष्ट अक्षरों में सहज गोचर स्थान पर लिखा जायेगा ।

3. समिति का कार्यक्षेत्र जिला के प्रत्येक गांव तक में सीमित होगा।

4. **उद्देश्य -** कृषि एवं अनुषंगी (कृषि एवं एलाईड गतिविधियाँ) उत्पादन, संकलन, प्रसंस्करण, अनुसंधान तथा विकास की विभिन्न गतिविधियों को सहकारी आधार पर संगठित करना, क्रय-विक्रय एवं वितरण की ऐसी व्यवस्था करना, जिससे कि सदस्यों को सर्वोत्तम लाभ मिल सके। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय हेतु मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना। साथ ही सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक अवस्था की उन्नति करना होगा, विशेषकर :-

(i) समिति के सदस्य कृषकों के बीच स्वावलम्बन, परस्पर सहभागिता एवं सहयोग की भावना का विकास करना, जिससे सभी सदस्य कृषक लाभान्वित हो सके ।

(ii) बुनियादी प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढांचे तक कृषकों की पहुंच बढ़ाते हुए उनकी आय में वृद्धि करना ।

(iii) कृषि क्षेत्र में नवीनतम नवाचारों (Latest Innovation) को बढ़ावा देना ।

(iv) बाजार की मांग के आधार पर जिले के लिए उत्पादन योजना तैयार एवं प्रसारित करना ।

(v) उत्पाद के संग्रहण, परिवहन और बिक्री की सुविधा के लिए इनपुट एजेंसियों, सेवा प्रदाता एजेंसियों, प्रसंस्करण, निर्यातक और ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

(vi) सदस्यों को कृषि कार्य हेतु बीज, खाद एवं उपस्कर क्रय करने हेतु ऋण तथा उत्पादित फसल पर अग्रिम देने का प्रबंध करना ।

(vii) ई-नाम सहित कृषि उपज के ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देना ।

(viii) उत्पादन और विपणन में किसानों की क्षमता का विकास करना ।

(ix) कृषकों एवं व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा मार्केट लिंकेज को बढ़ावा देना ।

(x) राज्य में लघु कृषि उद्योग को बढ़ावा देना एवं छोटी-बड़ी खाद्य प्रसंस्करण ईकाईयों को स्थापित करना या बढ़ावा देना, ताकि कृषको को उनके उपज का मूल्य प्राप्त हो ।

(xi) कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियाँ ।

(xii) उपरोक्त उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु ऐसे सभी कार्य करना, जिससे कि उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिले।

5. परिभाषाएँ**-** जब तक विषय अथवा प्रसंग में कोई विरूद्ध बात न हो, इस उपविधियों में -

(i) "चैम्बर ऑफ फार्मर्स" से अभिप्रेत है: चैम्बर ऑफ फार्मर्स जिला स्तरीय सहयोग समिति लि0;

(ii) "प्रबंधकारिणी कमिटी" से अभिप्रेत है : इस उपविधियों के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित प्रबंधकारिणी कमिटी ;

(iii) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है : समिति का अध्यक्ष;

(iv) "अधिनियम" से अभिप्रेत है : झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 (अंगीकृत), यथासंशोधित 2011 एवं 2015;

(v) "नियमावली" से अभिप्रेत है : झारखण्ड सहकारी समिति नियमावली 1959 यथासंशोधित 1997 (अंगीकृत) एवं यथासंशोधित 2012;

(vi) "निबंधक" से अभिप्रेत है : झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 (अंगीकृत), यथासंशोधित 2011 एवं 2015 के अधीन सहकारी समितियों के निबंधक के कर्त्तव्य पालन के लिए नियुक्त पदाधिकारी

(vii) "सचिव" से अभिप्रेत है : इस उपविधियों के अनुसार समिति का निर्वाचित सचिव;

(viii) "मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी" से अभिप्रेत है : किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि स्नातक उत्तीर्ण, जिसकी नियुक्ति प्रबंधकारिणी कमिटी के द्वारा की गयी हो;

(ix) "सदस्य/सदस्य संस्था" से अभिप्रेत है : उपविधियों के अनुसार बनाये गये सदस्य;

(x) "प्रतिनिधि" से अभिप्रेत है : समिति का ऐसा सदस्य, जो समिति का प्रतिनिधित्व अन्य सहकारी समितियों में करें एवं जिसे प्रबंधकारिणी कमिटी/विशेष आमसभा के द्वारा चयनित किया गया हो;

(xi) "सरकार" से अभिप्रेत है : झारखण्ड राज्य सरकार;

6. सदस्यता - कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत निबंधित प्राथमिक समितियों के प्रतिनिधि/एफ०पी०ओ० के प्रतिनिधि/पी०सी०/किसान क्लब के सदस्यों तथा ऐसे कृषक जो इस समिति के कार्यक्षेत्र में रहता हो और अनाज, फल या सब्जी एवं कृषि से जुड़े अन्य गतिविधियों को करता हो, चैम्बर ऑफ फार्मर्स के सदस्य होंगे ।

(i) सदस्यता हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा तथा 50 रूपये का आवेदन शुल्क एवं क्रय किये जाने वाले अंशों की सम्पूर्ण राशि जमा करनी होगी ।

(ii) प्रबंधकारिणी कमिटी द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार चैम्बर ऑफ फार्मर्स समिति को यह अधिकार होगा कि वह अपने किए जाने वाले व्यवसाय हेतु सदस्यों से अनुपात में पूँजी और/अथवा ऋण पत्रों मे अंशदान करने हेतु अनुरोध करें ।

(iii) यदि देय तिथि से किसी भी अंश और/अथवा ऋण पत्र की राशि 6 माह तक अदेय रहती है तो प्रबंधकारिणी कमिटी ऐसे सदस्यों के विरूद्ध उसे व्यतिक्रमी (Defaulter) मानकर वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा ।

(iv) सदस्यता की अस्वीकृति की दशा में आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा ।

(v) प्रवेश हेतु अंतिम निर्णय प्रबंधकारिणी कमिटी लेगा, जिसको प्रवेश देने अथवा कारण बताकर प्रवेश न देने का अधिकार होगा। सदस्यता से इंकार की स्थिति में सदस्य अधिनियम/नियमों में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत 60 दिन के अंदर निबंधक, सहयोग समितियाँ के समक्ष अपील कर सकेगा ।

7. सदस्यता का अधिकार - प्रत्येक सदस्य को 50 रूपया प्रवेश शुल्क देना होगा। कोई भी संबद्ध संस्था या व्यक्ति सदस्यता प्राप्त करने हेतु झारखण्ड सहकारी समिति नियमावली 1959 (यथासंशोधित 1997) के नियम 7 एवं 8 में विहित प्रावधानों के अनुसार सदस्यता का पात्र होगा ।

8. सदस्यता की समाप्ति :- झारखण्ड सहकारी समिति नियमावली 1959 (यथासंशोधित 1997) के नियम-9 के अनुसार कोई सदस्य, किसी विनिर्दिष्ट अयोग्यता से ग्रसित हो जाए, जैसा की नियमावली के नियम - 8 में वर्णित है, तो उसी समय उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी ।

9. सदस्य का निष्कासन **-** प्रबंधकारिणी कमिटी की बैठक में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की कोरम के बहुमत से कोई भी सदस्य झारखण्ड सहकारी सोसाईटी नियमावली के अनुसार निम्न कारणों में से किसी भी कारण से निष्कासित किया जा सकेगा ।

(i) यदि वह शोध्य ऋण के भुगतान में त्रुटिकर्त्ता हो और/अथवा समिति के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन में आदतन अवहेलना करता हो ।

(ii) यदि वह जानबूझकर झूठे कथन द्वारा समिति को धोखा देता हो ।

(iii) यदि वह समिति की साख को क्षति पहुँचाने वाला कोई भी कार्य करता हो ।

(iv) प्रबंधकारिणी कमिटी द्वारा ऐसे सदस्यों को निष्कासन के प्रस्ताव की सूचना निबंधित/स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से 15 दिनों पूर्व लिखित रूप से दी जायेगी, ताकि वह प्रबंधकारिणी कमिटी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके ।

(v) निष्कासन किए जाने पर सदस्य द्वारा धारित अंश/अंशो की जब्ती भी की जा सकेगी।

10. सदस्यता से परित्याग **-** प्रबंधकारिणी कमिटी को तीन महीने पूर्व सूचना देकर कोई भी सदस्य समिति की सदस्यता से पदत्याग कर सकता है ।

परन्तु उसपर समिति का कोई ऋण देय नहीं हो और न वह समिति को देय किसी ऋण का प्रतिभूति हो ।

परन्तु यह और भी कि किसी सदस्य को सदस्य बनने की तिथि से एक वर्ष पूर्व पदत्याग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

11. पूँजी एवं निधियाँ**-** समिति की पूँजी एवं निधियॉ निम्नलिखित द्वारा बनेंगी :-

(i) अंश पूँजी/हिस्सा पूँजी

(ii) प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क

(iii) ऋण पत्र

(iv) अमानतें (सदस्यों से)

(v) ऋण, राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से या झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं अन्य स्रोतों से

(vi) सरकार और दूसरे स्रोतो से प्राप्त आर्थिक सहायता, दान या अनुदान

(vii) समिति अपने सदस्यों एवं असदस्यों से ऐसी शर्तों पर अमानते प्राप्त कर, जैसा समिति की प्रबंध कमिटी द्वारा समय-समय पर विनिश्चित करें ।

(viii) रक्षित एवं अन्य निधियाँ

12. बैंक खाता -

(क) समिति किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खाता खोल सकती है। खाते का संचालन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव या कोषाध्यक्ष में से किसी दो पदधारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा ।

(ख) चैम्बर ऑफ फार्मर्स को प्राप्त होने वाली अनुदान की राशि के संधारण हेतु संबंधित कोषागार में PL खाता खोला जाएगा एवं इसका संचालन निमयानुसार किया जाएगा।

13. कर्ज लेने की सीमा - कर्ज एवं जमा पर समिति की पूर्ण बाह्य देन उसकी वसूल की हुई हिस्सा पूंजी एवं संरक्षित कोष (रिजर्व फण्ड) के दस गुने से अधिक नहीं होगी ।

14. कोष को काम में लगाना - कारोबार में नहीं लगाये गये समिति के कोष को निम्नलिखित रूप में उपयोग में लाया जा सकता है या जमा किया जा सकता है ।

(i) पोस्टल सेविंग्स बैंक में या राज्य को-ऑपरेटिव बैंक में ।

(ii) इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट की धारा 20 में विशेष रूप से वर्णित किसी भी जमानतों में ।

(iii) निबंधक, सहयोग समितियाँ की पूर्व अनुमति से किसी अन्य रूप में ।

15. अधिकृत/प्राधिकृत हिस्सापूँजी - समिति की अधिकृत/प्राधिकृत हिस्सापूँजी 50 करोड़ रू0 होगी। प्रत्येक हिस्सा का मूल्य 250/- (दो सौ पचास रूपया) मात्र होगा, जो कि बीस लाख अंशों/हिस्सो में विभाजित होगी। आवंटन पर सम्पूर्ण अंश राशि एकमुश्त जमा करनी होगी। राज्य सरकार को छोड़कर कर कोई भी सदस्य, समिति की निर्गत हिस्सापूँजी के 1/5 से अधिक के हिस्सों को नहीं खरीद सकेगा ।

जिन सदस्यों के जिम्मे हिस्से की किस्तों का रूपया बकाया होगा, वैसे सदस्य को विशेष आम सभा-सह-निर्वाचन में मत देने के अधिकार नहीं होगा ।

16. हिस्से का प्रमाण पत्र- प्रत्येक सदस्य को समिति की मुहर लगा हुआ एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसमें उसे निर्गत किए गए हिस्सों की संख्या का विशेष रूप से उल्लेख रहेगा। यदि प्रमाण पत्र खो जाय या फट जाय तो 50.00 (पचास) रू0 मात्र शुल्क देने पर फिर से प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा ।

17. हिस्सों का हस्तांरण या वापसी - कोई भी सदस्य तब तक अपना हिस्सा हस्तांतरित नहीं कर सकेगा, जब तक कि -

(i) वह कम से कम ऐसे हिस्से को एक वर्ष तक धारित नहीं करता हो, तथा

(ii) हस्तान्तरकारी व्यक्ति प्रबंधकारिणी कमिटी द्वारा स्वीकृत न हो ।

18. उत्तरदायित्व -

(i) समिति के कर्जों के लिए सदस्य की जिम्मेदारी उसके अपने हिस्से के मूल्य के पाँच गुणा तक सीमित रहेगी ।

(ii) भूतपूर्व या मृत सदस्य या उनकी सम्पति की जिम्मेदारी समिति के बाकी ऋण, जो उसकी सदस्यता से हटने अथवा मृत्यु की तिथि पर यथास्थिति विद्यमान थे, का दायित्व वैसी तिथि से दो वर्षों की अवधि तक जारी रहेगा ।

(iii) उत्तरदायित्व की उपरोक्त सीमा समिति के परिसमापन की अवस्था में ही उपयोग में लायी जाएगी ।

19. आम सभा - अधिनियम/नियम एवं उपविधि की परिसीमा में समिति से संबंधित सर्वोच्च प्राधिकार सदस्यों की आमसभा में निहित होगी। आम सभा तीन प्रकार की होगी -

(i) वार्षिक आम सभा

(ii) असाधारण आम सभा

(iii) विशेष आम सभा

20. वार्षिक आम सभा -

(i) समिति के अध्यक्ष द्वारा सभा की अध्यक्षता की जायेगी। उनके अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता हेतु एक अध्यक्ष चुनेंगे, जो उस सभा की अध्यक्षता करेगा, परन्तु यदि समिति की प्रबंधकारिणी समिति अवक्रमित या निलंबित की जाती है, तो वैसी स्थिति में सभा की अध्यक्षता निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा की जायेगी ।

21. अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों के अन्तर्गत साधारणत: समिति की प्रथम प्रारंभिक आम सभा को वही शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो कि वार्षिक आम सभा को प्राप्त होगी ।

22. वार्षिक आम सभा के कार्य **-** समिति का प्रबंधकारिणी कमिटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद छह माह के भीतर वार्षिक आम सभा बुलायेगी, जिसमें प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों एवं उसके पदाधिकारियों के निर्वाचन को छोड़कर, अधोलिखित सभी अथवा किसी विषय वस्तु पर विचार किया जायेगा।

(i) निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रबंधकारिणी कमिटी द्वारा वार्षिक विवरणियों पर विचार ।

(ii) प्रबंधकारिणी कमिटी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार।

(iii) सांविधिक अंकेक्षकों एवं आन्तरिक अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं हटाया जाना।

(iv) अंकेक्षण का रिपोर्ट और निबंधक को दाखिल किए जाने के लिए अंकेक्षित विवरण पर विचार।

(v) अंकेक्षण/विशेष अंकेक्षण के अनुपालन प्रतिवेदन पर विचार।

(vi) धारा-39 के अधीन जांच प्रतिवेदन पर की गयी कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन, यदि कोई हो, तो।

(vii) शुद्ध अधिशेष का निपटान।

(viii) संचालन घाटा, यदि कोई हो, का पुनर्विलोकन।

(ix) दीर्घकालीन महत्व की योजना और वार्षिक परिचालन योजना का अनुमोदन।

(x) वार्षिक बजट का अनुमोदन।

(xi) विनिर्दिष्ट आरक्षित निधि एवं अन्य निधियों का सृजन।

(xii) आरक्षित एवं अन्य निधियों की वास्तविक उपयोगिता का पुनर्विलोकन।

(xiii) अन्य सहकारी समितियों में सहकारी समिति की सदस्यता के संबंध में प्रतिवेदन।

(xiv) सदस्यता के लिए जिस व्यक्ति का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया हो अथवा जिसकी सदस्यता बोर्ड द्वारा समाप्त कर दी गयी हो, उसकी अपील पर सुनवाई।

(xv) किसी निदेशक, अंकेक्षक या आन्तरिक अंकेक्षक को उस हैसियत से अपने कर्त्तव्य के लिए अथवा संबंधित बैठकों में उसकी उपस्थिति के लिए देय पारिश्रमिक।

(xvi) समिति में सदस्यता।

(xvii) अन्य संगठनों के साथ सहयोग।

(xviii) उपविधियों का संशोधन।

(xix) प्रबंधकारिणी कमिटी एवं पदधारियों के लिए आचार संहिता बनाना।

(xx) सदस्यों को सम्मिलित किए जाने एवं सदस्यता समाप्त किए जाने संबंधी टिप्पणी।

(xxi) समिति का परिसमापन।

(xxii) अधिनियम की धारा - 66 (ख) (1) के अन्तर्गत समिति के कर्मचारियों के संबंध में बनाये गये सेवा नियमावली के अनुसार कार्रवाई करना।

(xxiii) सभी जमा रसीदों पर हस्ताक्षर करना तथा समिति के बैंक खातों को संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित करना एवं इस हेतु सक्षम अधिकारियों को अधिकृत करना।

(xxiv) ऐसे अन्य कृत्य, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट हों।

23. असाधारण आम सभा -समिति की प्रबंधकारिणी समिति के बहुमत पर किसी भी समय आवश्यकतानुसार आसाधारण आम सभा की बैठक बुलाई जा सकेगी अथवा समिति के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा अधियाचना पर अध्यक्ष द्वारा अधियाचना की प्राप्ति की तिथि से एक माह के अंदर आसाधारण आम सभा बुलाई जा सकेगी।

24. विशेष आम सभा - निबंधक अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति या नियमावली के नियम 21 (ख) के अधीन अधिसूचित कोई संचालन पदाधिकारी ऐसी तिथि, समय एवं स्थान जो वह नियत करें, विशेष आम सभा बुलाने का निदेश दे सकेगा। विशेष आम सभा मे सिर्फ निर्वाचन संबंधी कार्य होंगे।

25. आम सभा की बैठक की सामान्य प्रक्रिया **-**

(i) समिति के प्रबंधकारिणी समिति के द्वारा वार्षिक आम सभा/आसाधारण आम सभा, बैठक आयोजित करने के लिए सदस्यों को कम से कम 14 दिन पूर्व निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से सूचना देनी होगी। सूचना पत्र में बैठक का स्थान, तिथि, समय तथा बैठक में विचार किए जाने वाले विषयों की सूची भी रहेगी। इसके साथ ही वार्षिक आमसभा/आसाधारण आम सभा की सूचना समिति के निबंधित कार्यालय के सूचना पटल पर भी प्रकाशित कर दी जायेगी ।

(ii) वार्षिक आम सभा के लिए कुल सदस्यों का 1/5 (पंचमाश) गणपूर्ति होगी। यदि सभा के लिए निर्धारित समय से एक धंटा के अंदर गणपूर्ति न हो सके, तो सभा ऐसी तिथि तक के लिए स्थगित कर दी जायेगी, जो सात दिन से पूर्व नहीं और इक्कीस दिन के बाद नहीं होगी अर्थात स्थगित आम सभा पूर्व से निर्धारित तिथि के सात दिनों के बाद एवं इक्कीस दिनों के पूर्व संपन्न कर ली जायेगी। स्थगित सभा के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं

होगी। विषय सूची वही रहेगी, जो पूर्व बैठक के लिए निर्गत की गयी थी। आम सभा में सभी प्रश्नों का निर्णय बहुमत से किया जायेगा और मतों की समता की स्थिति में बैठक का अध्यक्ष निर्णायक मत देगा। आम सभा में हाथ उठा कर मतदान किया जायेगा और सिर्फ अपवादिक मामले में मत पत्रों के माध्यम से मतदान कर निर्णय लिया जायेगा ।

(iii) आम सभा की कार्यवाही का वृत उसी प्रयोजन के लिए संधारित बही में अभिलिखित किया जायेगा और सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति उस वृत पर हस्ताक्षर करेगा। सचिव आम सभा में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। सभा की कार्यवाही की प्रति सदस्यों को 15 दिनों के अंदर भेज दी जायेगी। आम सभा में अपनाई गई प्रक्रिया संबंधी किसी आपत्ति की अपील निबंधक के पास की जायेगी और उस पर इसका निर्णय अंतिम होगा ।

26. मताधिकार-

(i) मताधिकार का प्रयोग अधिनियम, नियम तथा समिति की उपविधियों में वर्णित दायित्वों को पूरा करने वाले सदस्य ही कर सकेंगे। प्रत्येक पात्र सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होगा ।

27. प्रबंधकारिणी कमिटी - विशेष आमसभा-सह-निर्वाचन में निर्वाचित चैम्बर ऑफ फार्मर्स की प्रबंधकारिणी कमिटी में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं निदेशकों सहित कुल 11 सदस्य होंगे, जिसमें 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। अध्यक्ष का पद अनारक्षित होगा। प्रबंधकारिणी की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में राज्य सरकार के जिला स्तरीय कुल 09 पदाधिकारी विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे:-

(i) जिला कृषि पदाधिकारी
(ii) जिला उद्यान पदाधिकारी
(iii) जिला पशुपालन पदाधिकारी
(iv) जिला गव्य विकास पदाधिकारी
(v) जिला मत्स्य पदाधिकारी
(vi) जिला सहकारिता पदाधिकारी
(vii) परियोजना निदेशक, आत्मा
(viii) संबंधित जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा नामित प्रतिनिधि
(ix) सचिव, कृषि, उत्पादन बाजार समिति के नामित प्रतिनिधि

उपरोक्त के अलावे दो कृषि/उद्यान के क्षेत्र में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नात्तक की डिग्री प्राप्त दो तकनीकी सलाहकार होंगे ।

(क) जब कभी भी आवश्यकता होगी, प्रबंधकारिणी कमिटि की सभा आहूत की जा सकती है, परन्तु तीन महीने में कम से कम एक बार होगी। प्रबंधकारिणी कमिटी के निर्वाचित 6 सदस्यों का गणपूर्ति होगा ।

(ख) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों के द्वारा चुने गए कोई अन्य सदस्य प्रबंधकारिणी कमिटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

(ग) प्रबंधकारिणी कमिटी में सभी निर्णय बहुमत के आधार पर होगी। बराबर मत होने की अवस्था में चुनाव कार्य को छोड़कर अध्यक्ष को एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

28. प्रबंधकारिणी कमिटी के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे:-

(i) निदेशक पर्षद की पूर्व बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन करना।

(ii) निधि की सीमा के अन्तर्गत समिति की आवश्यकतानुरूप जमीन प्राप्त/क्रय करना, भवन बनाना या भवन क्रय करना अथवा लीज पर लेना अथवा अन्य तरह से प्राप्त करना।

(iii) आगामी वर्ष का कार्यक्रम व बजट बनाना और वार्षिक आम सभा में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।

(iv) लाभांश के वितरण एवं विनियोग पर निर्णय लेना और स्वीकृति हेतु आम सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।

(v) लेखों का विवरण तथा संपरीक्षा रिर्पोट निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करना।

(vi) समिति को जिस वर्ष में परिचालन घाटा होता है वहाँ उनके कारणों का वार्षिक आम सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।

(vii) सदस्यता और हिस्से की मंजूरी के लिए दी गयी आवेदनों पर विचार करना।

(viii) सदस्यों के त्याग पत्र पर विचार करना।

(ix) अधिनियम, नियम और इस उपविधियों के अनुसार विगत सदस्यों की हिस्सा पूंजी को फिर से वापस करने पर विचार करना।

(x) सब्जी, फल, अन्न एवं अन्य फसलों के खेतों का क्षेत्रफल निर्धारित करने में सहायता करना एवं इनके उत्पादों को बाजार से जोड़ने की व्यवस्था करना।

(xi) सदस्यों की सब्जी, फल, अन्न एवं अन्य फसलों की जानकारी लेना और उपज का अनुमान लगाना, जिसे बाजार में जोड़ा जा सके।

(xii) चैम्बर ऑफ फार्मर्स के सदस्यों द्वारा बेचे जानेवाले सब्जी, फल, अन्न एवं अन्य फसलों की पैदावार का वर्गीकरण, खरीद, बोराबन्दी और यातायात का प्रबंध करने में सहायता करना।

(xiii) औजारों और मशीनों के खरीदने या भाड़े पर लेने का प्रबंध करना तथा खाद, बीज और दूसरी चीजों का आपूर्ति करने में सहायता करना।

(xiv) सब्जी, फल, अन्न एवं अन्य फसलों की पैदावार के प्रभावी संकलन करने का प्रबंध करना और Professional व्यापारिक सूचना समिति स्थापित करने में सहायता करना।

(xv) चैम्बर ऑफ फार्मर्स की तरफ से प्राप्त या चुकाये गये सभी रूपयों, स्टोरों, स्टॉक और जायदादों की प्राप्ति तथा उनकी खपत का प्रबंध करने में सहायता करना।

(xvi) चैम्बर ऑफ फार्मर्स के कारोबार के संबंध में दावों या वैद्य कार्यवाहियों को कानूनी रूप देना, आगे बढ़ाना, सुलह करना या त्याग देना।

(xvii) सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों, अर्थप्रबंधक बैंक, उद्यान विभाग के पदाधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन और ऑडिट नोट्स पर विचार करना।

(xviii) कोषाध्यक्ष एवं लेखापाल के द्वारा रखे जानेवाले कैश बैलेन्स की सीमा को निश्चित करना।

(xix) प्रबंधकारिणी कमिटी की सभी सभाओं में कोषाध्यक्ष एवं लेखापाल के पास रहने वाले कैश बैलेंस का मिलान करना।

(xx) निबंधक, सहयोग समितियाँ के द्वारा प्रसारित आदेशों के अनुसार कारोबार संबंधी नियमों को बनाना।

(xxi) साधारणत: कृषि इत्यादि संबंधी कारोबार को करना।

(xxii) आमसभा या निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची द्वारा विनिहित अन्य कार्य संपादित करना।

(xxiii) झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 यथासंशोधित 2015 की धारा 66 (ख) (I) के आलोक में कार्मिक नीति बनाना एवं आमसभा की सहमति से लागू करना।

(xxiv) सदस्यों को दिए जानेवाले ऋण की सीमा निश्चित करना।

(xxv) उपविधियों के अनुसार सदस्यों को पैदावार पर अग्रिम राशि देना।

(xxvi) सदस्यों की पैदावार को बेचने के लिए उनसे ली जानेवाली कमीशन की दर और अन्य चीजों के आमसभा की राय से निश्चित करना।

(xxvii) सदस्यों से ऋण के लिए आवेदन लेना तथा नियमानुसार उसे स्वीकृत करना।

(xxviii) सदस्यों द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने के लिए किस्त निर्धारित करना।

29. प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्य की अपात्रता/अयोग्यता - कोई भी सदस्य समिति के प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्य के रूप में सदस्यता के लिए, संस्था में विनिर्दिष्ट पद धारण करने के लिए तथा अन्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्त करने के लिए अथवा निर्वाचित होने के लिए अयोग्य माना जायेगा, यदि वह-

(i) समिति के कारोबार/व्यापार के समानान्तर कार्य करता हो या

(ii) दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदक हो या दिवालिया घोषित कर दिया गया है

(iii) पागल हो अथवा हो जाय

(iv) संघ के वैतनिक कर्मचारी का निकट संबंधी हो, निकट संबंधी होने से तात्पर्य उन संबंधो से है, जिनका वर्णन झारखण्ड सहकारी समिति नियमावली में किया गया है।

(v) झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम/नियम में वर्णित प्रावधान के अनुसार संस्था को पहुँचाई गई हानि की वसूली हेतु उत्तरदायी ठहराया गया हो, के अधीन अधिभारित किया गया हो अथवा निष्कासित किया गया हो।

(vi) स्वयं के द्वारा समिति अथवा किसी अन्य सहकारी सोसायटी के लिए गए किसी ऋण अथवा अग्रिमों के संबंध में 6 माह से अधिक समय तक कालातीत हो गया हो।

(vii) यदि वह केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय संस्था या किसी सहकारी समिति की सेवा से हटाया गया हो।

(viii) यदि प्रबंधकारिणी कमिटी झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम के अधीन अवक्रमित हो गयी हो

(ix) यदि सदस्य झारखण्ड सहकारी समिति नियमावली के अन्तर्गत नियम 8 एवं 23 से अन्तर्गस्त हो गया हो।

30. प्रबंधकारिणी कमिटी की सभाओं की कार्यवाहक पुस्तिका सभा में किए गए समस्त कार्य सचिव के पास रहने वाली कार्यवाहक पुस्तिका में लिखे जायेंगे और उस पर अध्यक्ष से लेकर सभा में उपस्थित कमिटी के सभी सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। राशि के संबंध रखनेवाले सभी कार्यों के प्रस्ताव पर पक्ष या विपक्ष में पड़ने वाले प्रत्येक सदस्य का मत लिखा जाएगा।

31. मानव बल - किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि स्नातक उत्तीर्ण चैंबर ऑफ फार्मर्स का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगा, जो कि कृषि संबंधी योजना विकास, मार्केट लिंकेज, कृषि संबंधी व्यापारी से संपर्क आदि करने में कार्यकारिणी समिति को सहायता प्रदान करेगा।

(i) जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को कार्यालय कार्यों के संपादन में लेखापाल-सह-सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य कर्मी द्वारा सहयोग किया जाएगा।

(ii) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समिति द्वारा चैंबर के सभी सदस्यों को संबंधित जिले की बाजार समिति में पंजीकृत किया जाएगा, ताकि वे दैनिक संचालन और ई-नाम पोर्टल देख सकें तथा किसान अपनी उपज पर सुचारू रूप से लेन-देन कर सकेंगे तथा देश के मंडियों में अपनी उपज बेचने के बाद बेहत्तर आय प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

(iii) JAP-IT/झारखण्ड न्यूनत्तम मजदूरी अधिसूचना के आधार पर निर्धारित दर पर उपर्युक्त योजना के तहत संबंधित का भुगतेय किया जाएगा।

(iv) कार्यकारिणी समिति, झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 यथासंशोधित 2015 की धारा 66 (I) (ख) के प्रावधान के आलोक में निर्मित कार्मिक नीति के आधार पर सभी कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

(v) चयनित उम्मीदवार चैंबर ऑफ फार्मर्स के संविदा आधारित कर्मचारी होंगे एवं नियुक्ति का प्राधिकार चैंबर ऑफ फार्मर्स की प्रबंधकारिणी कमिटी को होगा।

(vi) कर्मचारी के द्वारा स्थायी नियुक्त करने से संबंधित दावा मान्य नहीं होगा एवं उम्मीदवार से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त किया जाएगा।

(vii) राज्य स्तर पर योजनाओं के परामर्श एवं मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय कन्सलटेंट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, अन्य कर्मी इत्यादि की संविदा आधारित नियुक्ति प्रबंधकारिणी कमिटी के द्वारा किया जाएगा।

(viii) संबंधित राज्य स्तरीय कन्सलटेंट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, अन्य कर्मी इत्यादि के द्वारा स्थायी नियुक्ति करने से संबंधित दावा मान्य नहीं होगा एवं उम्मीदवार से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त किया जाएगा।

32. सचिव का कर्तव्य :- सचिव के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :-

(i) आम सभाओं और प्रबंधकारिणी सभाओं की बैठक आहूत करने के लिए बुलावा भेजना।

(ii) कार्यवाही पुस्तिका में इन सभाओं की कार्यवाहियों को लिखना।

(iii) हिसाब-किताब की सभी बहियों को जिनकी आवश्यकता उप नियम तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के सर्कुलर के अनुसार है, का संधारण चैम्बर ऑफ फार्मर्स के कारोबार के लिए आवश्यक सभी सहायता प्राप्त करना/सहयोग करना।

(iv) कैशबुक पर हस्ताक्षर करना और यह देखना कि कैश बैलेन्स, प्रबंधकारिणी कमिटी द्वारा निश्चित की गयी सीमा से अधिक हो जाने पर पोस्ट ऑफिस या अर्थ प्रबंधक, बैंक में जमा की गयी।

(v) 31 मार्च को चैम्बर ऑफ फार्मर्स की सम्पति और देनदारी का एक स्टेटमेंट या रिपोर्ट तैयार करना।

(vi) निबंधक, सहयोग समितियाँ की स्वीकृति से प्रबंधकारिणी कमिटी या अर्थ प्रबंधक बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा निर्धारित इसी प्रकार के अन्य कार्यों को पूरा करना।

(vii) चैम्बर ऑफ फार्मर्स के पास एक आम मुहर होगी जो सचिव की देखरेख में रहेगी।

33. सचिव और अन्य पदाधिकारियों को भत्ता और पारिश्रमिक :- पदधारियों को यात्रा भत्ता एवं प्रबंधकारिणी कमिटी की बैठक में भाग लेने हेतु आम सभा द्वारा निर्धारित भत्ता देय होगा।

34. कोषाध्यक्ष का कर्त्तव्य **:-** कोषाध्यक्ष समिति को मिलनेवाले सभी राशि को अपने प्रभार में रखेंगे और प्रबंधकारिणी कमिटी द्वारा निश्चित आदेशों के अनुसार उसे खर्च करेंगे। वे कैशबुक में तद्नुसार प्रविष्टि करेंगे एवं हस्ताक्षर करेंगे और प्रबंधकारिणी कमिटी की हर बैठक में कैश बैलेन्स को मिलाने के लिए पेश करेंगे।

उन सभी कागजात पर जिसमें चार्जों और प्रतिबंधो का वर्णन रहेगा, अध्यक्ष और सचिव या सचिव तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के एक सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा होगा। अध्यक्ष और सचिव या प्रबंधकारिणी कमिटी के एक सदस्य पे-ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने के लिए योग्य होंगे।

35. लेखा एवं अभिलेख **-**

(i) समिति का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

(ii) लेखा पुस्तकों, पंजियाँ तथा अन्य रिकॉर्ड अधिनियम, नियम एवं उपविधि, निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा निर्दिष्ट रीति से रखे जायेगें एवं उनमें ऐसा नियमान्तर्गत सुधार किया जा सकेगा, जैसा कि प्रबंधकारिणी कमिटी द्वारा आवश्यक समझा जायेगा एवं नियमसंगत होगा।

(iii) समिति का कोई भी सदस्य कार्यावधि में स्वयं अथवा स्वंय के व्यवसाय से संबंधित प्रविष्टियों का अवलोकन कर सकेगा।

(iv) वित्तीय वर्ष के लाभ-हानि सम्पत्ति दायित्व दर्शाने वाले समस्त पृथक लेखा वर्ष समाप्ति के 6 माह के अंदर तैयार किये जायेंगे एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(v) आयकर अधिनियम में उल्लेखित छूट का विधिवत प्रावधान किया जायेगा।

36. राज्य सरकार एवं निबंधक के निर्देशों का पालन **-**

(i) अधिनियम/नियमावली के अनुसार लोकहित में राज्य सरकार/निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा दिए गए निर्देशें का समिति पालन करेगी।

(ii) समिति के लेखों का अंकेक्षण निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा अधिकृत अंकेक्षक/सनदी लेखाकार से कराने की स्थिति में समिति निर्धारित अंकेक्षण शुल्क का भुगतान करेगी।

(iii) समिति ऐसे संगठन में जिसका उद्देश्य किसी राजनैतिक दल या किसी धार्मिक आस्था को अग्रतर करता हो, प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता, धन या वस्तु के रूप में अभिदाय नहीं करेगी।

37. समिति द्वारा अधिनियम**,** नियम**,** उपविधियाँ**,** मुहर एवं संघ द्वारा संधारित पंजियों**,** बही एवं अभिलेख - समिति द्वारा अपने पंजीकृत कार्यालय में सहकारी अधिनियम, नियमावली, उपविधियाँ, अंतिम ऑडिट प्रतिवेदन, मुहर, अंश प्रमाण-प्रत्र बुक, सदस्यता पंजी, हिस्सा/अंश पंजी, बैठक पंजी, आमसभा/विशेष आमसभा पंजी, कैश बुक, समिति की सभी प्रकार के क्रिया-कलापो की स्वतंत्र संधारित पंजी, समिति के बैंक खाताओं से लेन-देन पंजी, अमानत पंजी, अनुदान पंजी, ऋण पंजी, निधि सहायता प्राप्त पंजी, कार्मिक पंजी, कार्मिक सेवा नियमावली, परिदर्शन पंजी, वार्षिक कार्य योजना पंजी, सरकार, अन्य स्रोतो से निर्गत आदेश, निदेश या मशविरा संबंधी फाईल, प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों की सूचना प्रतियाँ एवं समिति द्वारा संधारित अन्य सभी पंजी/फाईल आदि रखा जायेगा, जिसका अवलोकन युक्ति संगत समय पर निबंधक, सहयोग समितियाँ या समिति के सदस्यगण द्वारा किया जा सकेगा, बशर्ते कि सदस्य सिर्फ अपने नाम से जमा का ही अवलोकन कर सकेंगे।

38. प्रतिवर्ष 31 मार्च को समिति का आर्थिक वर्ष खत्म होगा और शुद्ध लाभ जो ऑडिट के द्वारा प्रमाणित होगा, 35 प्रतिशत रिजर्व फण्ड तथ 10 प्रतिशत अशोध ऋण में देने के उपरान्त जो बचेगा वह निम्नलिखित प्रकार से बाँटा जाएगा :-

(i) अधिक से अधिक 10 प्रतिशत साधारण भलाई के कोष में।

(ii) लाभांश जो 6 प्रतिशत से अधिक न होगा, हिस्सो के चुकाए गए मूल्य पर दिया जाएगा।

(iii) सदस्यों के द्वारा लिए गए कर्ज पर सूद में चैम्बर ऑफ फार्मर्स द्वारा खरीदे गए माल की कीमत में या चैम्बर ऑफ फार्मर्स द्वारा बेचे गए माल का कीमत पर दिए जाने वाले प्रीमियम में जो घोषित किए जायेंगे तब तक सदस्य को नहीं मिल सकेंगे, जब तक कि उसके जिम्मे पहले का कुछ पावना बाकी हो। यह रकम सदस्यों के बकाया में से काट ली जाएगी।

(iv) कर्मचारियों को बोनस, जो एक महीने के वेतन से अधिक नहीं होगा।

(v) अगर राशि शेष बचेगा तो वह अगले वर्ष के लिए रख दिया जाएगा। हिस्सो पर लाभांश, रिबेट या प्रीमियम आदि एक वर्ष के भीतर से नही ले लिए जाते हैं, तो वे सदस्यों के खाते में जमा कर दिए जाएँगे।

39. रिजर्व फण्ड :-

(i) रिजर्व फण्ड इन सबों को मिलाकर बनेगा

(क) प्रतिवर्ष शुद्ध लाभ का 35 प्रतिशत

(ख) समिति को गठित करने में हुए प्रारंभिक खर्चों की, जिसमें समिति का कारोबार संचालित करने के लिए अपेक्षित खर्च भी शामिल है, कटौती के बाद बचा हुआ प्रवेश शुल्क

(ग) लाभ से या अन्यथा इनमें आवंटित कोई रकम। रिजर्व फण्ड समिति का अंग होगी और इसका विभाजन समिति के सदस्यों के बीच नहीं किया जा सकेगा।

(ii) रिजर्व फण्ड का उपयोग निम्नलिखित किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा :-

(क) समिति से की गयी कोई मांग पूरी करने के लिए, जिसे अन्यथा पूरा न किया जा सकता हो, लेकिन इस प्रकार निकासी की गयी रकम को नई वसूलियाँ होने पर निधि में फिर से जमा कर दिया जाएगा।

(ख) किसी ऐसे कार्य हेतु, जिसकी पूर्ति अन्य तरह से नहीं हो सकती है, उक्त राशि की प्रतिपूर्ति शीघ्र की जाएगी।

(ग) किसी कर्ज के लिए जमानत हेतु।

(घ) किसी अदृश्यपूर्व परिस्थितियों के कारण होने वाली हानि की पूर्ति के लिए, परन्तु इससे इस प्रकार ली गयी रकम इसे फिर यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी।

(iii) रिजर्व फण्ड की राशि सदस्यों में नहीं बांटी जा सकेगी :-

(iv) समिति के विघटन की दशा में, रिजर्व फण्ड ऐसे प्रयोजनों में लगायी जाएगी जो इसके प्रयोजनार्थ होनेवाली विशेष बैठक में सदस्यों के बहुमत द्वारा निबंधक, सहयोग समितियाँ के अनुमोदन से निर्धारित कया जाएगा।

(v) रिजर्व फण्ड की राशि झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 यथासंशोधित 2015 के अनुसार विनियोजित या जमा की जाएगी।

40. उपविधियों में संशोधन :- झारखण्ड सहकारी समिति नियमावली 1959 यथासंशोधित 1997 के नियम 16 एवं 17 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार की जा सकेगी।

41. **पंच निर्णय -** कोई भी झगड़ा जिसका निबटारा प्रबंधकारिणी कमिटी अथवा आमसभा के द्वारा नहीं हो सकता है, तो वैसे मामले निबंधक, सहयोग समितियाँ के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे।

42. **परिसमापन -** साधारण आमसभा, जो इसी उद्देश्य से बुलायी जायेगी, के तीन चौथाई सदस्यों के द्वारा पारित प्रस्ताव पर निबंधक, सहयोग समितियाँ के द्वारा स्वीकृति के उपरान्त परिसमाप्त की जा सकेगी।

43. इन उपविधियों में जिन बातों का समावेश नहीं हुआ उन सभी बातों या विषयों में व्याख्या झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (अंगीकृत) यथासंशोधित 2011 एवं 2015 की धारा एवं/या झारखण्ड सहकारी समिति नियमावली 1959 यथासंशोधित 1997 (अंगीकृत) एवं यथासंशोधित 2012 के नियमों के प्रावधान के अनुसार की जायेगी, किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर निबंधक का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदकगण

संस्था/व्यक्ति का नाम	उम्र	पिता/पति का नाम	पेशा	निवास स्थान का पता	हस्ताक्षर

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SUNIL KUMAR, SHAMBHAVI IRA (अन्य नाम SHAMBHAVI) का पिता, शपथ पत्र सं० 1041, दिनांक 19 जुलाई, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री SHAMBHAVI IRA (जन्म तिथि - 4 नवंबर, 2009) के नाम से जानी जायेगी ।

SHAMBHAVI IRA एवं SHAMBHAVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - CO-OPERATIVE COLONY,
PLOT NO. - 6/D, NUTANDIH,
P.O. - B.C.C.L. TOWNSHIP,
P.S. - SARAIDHELA,
DIST. - DHANBAD,
PIN - 826005
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं GANGIA DEVI पति SOHRAI ORAON, ASHA KUMARI (अन्य नाम ROSHNI KUMARI) कि माता, शपथ पत्र सं० 56, दिनांक 21 जुलाई, 2023 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री ASHA KUMARI (जन्म तिथि - 1 जनवरी, 2007) के नाम से जानी जायेगी ।

ASHA KUMARI एवं ROSHNI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - RARHA BALWAPANI,
P.O. & P.S. - PITHORIA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834006
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं ROSHAN KACHHAP अन्य नाम ROSHANI KACHHAP माता SHANTI BAI, शपथ पत्र सं० 1835, दिनांक 1 जुलाई, 2023 के अनुसार ROSHAN KACHHAP के नाम से जाना जाऊँगा ।

ROSHAN KACHHAP एवं ROSHANI KACHHAP दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - SHARMA COLONY,
QT. NO. - A-364,
SECTOR - 4, DHURWA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834004
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं HEMANTI DEVI पति RAMJEET SINGH, ANAYA SINGH (अन्य नाम PAYAL KUMARI) कि माता, शपथ पत्र सं० 155, दिनांक 10 जुलाई, 2023 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री ANAYA SINGH के नाम से जानी जायेगी ।

ANAYA SINGH एवं PAYAL KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILLAGE MANDRO,
P.O. - HENDEBILI,
P.S. - ORMANJHI,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835219
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं BITU SINGH CHOUDHARY, RISHAV RAJ (अन्य नाम ARMAN RAJ) का पिता, शपथ पत्र सं० 03, दिनांक 24 मई, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र RISHAV RAJ के नाम से जाना जायेगा ।

RISHAV RAJ एवं ARMAN RAJ दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - P.O. - KHARNI,
P.S. - BARWADDA,
DIST. - DHANBAD,
PIN - 828113
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं ARIF ANSARI, AFIYA NAYAAB (अन्य नाम DILKASH TARANA) का पिता, शपथ पत्र सं० 1901, दिनांक 18 जुलाई, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री AFIYA NAYAAB (जन्म तिथि - 27 अगस्त, 2006) के नाम से जानी जायेगी ।

AFIYA NAYAAB एवं DILKASH TARANA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - IRBA KOILARI,
P.S. - ORMANJHI,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835219
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SURENDRA GUPTA, SARSWATI KUMARI (अन्य नाम PARWATI KUMARI) का पिता, शपथ पत्र सं० 751, दिनांक 1 जून, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री SARSWATI KUMARI के नाम से जानी जायेगी ।

SARSWATI KUMARI एवं PARWATI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VIL. - BAITRI,
P.O. - AMRORA,
P.S. - KHAROUNDHI,
DIST. - GARHWA,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RUPESH KUMAR, AAROHI KUMARI (अन्य नाम ARCHI GUPTA) का पिता, शपथ पत्र सं० 1413, दिनांक 1 अगस्त, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री AAROHI KUMARI (जन्म तिथि - 20 नवंबर, 2008) के नाम से जानी जायेगी ।

AAROHI KUMARI एवं ARCHI GUPTA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - HOUSE NO. - MIG-B-80,
HARMU HOUSING COLONY,
P.S. - ARGORA,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं DILKHUSH MAHTO अन्य नाम JHAGAR ROY MAHTO पिता BISHESHWAR MAHTO, शपथ पत्र सं० 1906, दिनांक 4 जुलाई, 2023 के अनुसार DILKHUSH MAHTO के नाम से जाना जाऊँगा ।

DILKHUSH MAHTO एवं JHAGAR ROY MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - 3-B, VILL. - NAWAGAON,
RAHE RANCHI,
P.O. - RAHE,
P.S. - SONAHATU,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835204
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RAJU RANJAN KUMAR, CHITRANSHU RAJ (अन्य नाम CHANDRAKANT) का पिता, शपथ पत्र सं० 685, दिनांक 10 जुलाई, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र CHITRANSHU RAJ (जन्म तिथि - 2 अगस्त, 2010) के नाम से जाना जायेगा ।

CHITRANSHU RAJ एवं CHANDRAKANT दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - KUTMU,
P.O. - UNTARI ROAD,
P.S. - UNTARI ROAD,
DIST. - PALAMU,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RAJU RANJAN KUMAR, BHUPRIYANSHU RAJ (अन्य नाम YUVRAJ KUMAR) का पिता, शपथ पत्र सं० 686, दिनांक 10 जुलाई, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र BHUPRIYANSHU RAJ (जन्म तिथि - 16 अप्रैल, 2009) के नाम से जाना जायेगा ।

BHUPRIYANSHU RAJ एवं YUVRAJ KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - KUTMU,
P.O. - UNTARI ROAD,
P.S. - UNTARI ROAD,
DIST. - PALAMU,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं NARESH KUMAR SINHA अन्य नाम NARESH KUMAR पिता Late KESHWAR PRASAD SINHA, शपथ पत्र सं० 18, दिनांक 2 सितम्बर, 2023 के अनुसार NARESH KUMAR SINHA के नाम से जाना जाऊँगा ।

NARESH KUMAR SINHA एवं NARESH KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - NO. - 572/K. 6/A,
ALKAPURI MOUNT MOTORS LANE,
RATU ROAD, RANCHI G.P.O. RANCHI
PIN - 834001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SUCHITA SINGH अन्य नाम SUCHITA पिता VIKAS SINGH, शपथ पत्र सं० 1885, दिनांक 18 मई, 2023 के अनुसार SUCHITA SINGH के नाम से जानी जाऊँगी ।

SUCHITA SINGH एवं SUCHITA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - FLAT NO. - 705,
PANCHWATI RESIDENCY,
KANKE ROAD,
CHANDANI CHOWK,
MISIRGONDA ALIAS PAHARGONDA,
RANCHI UNIVERSITY KANKE, RANCHI,
PIN - 834008
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RAJAN SINGH, ISHITA SINGH (अन्य नाम ISHITA) का पिता, शपथ पत्र सं० 07, दिनांक 1 मई, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री ISHITA SINGH (जन्म तिथि - 22 फ़रवरी, 2006) के नाम से जानी जायेगी ।

ISHITA SINGH एवं ISHITA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - FLAT NO. - 605,
PANCHWATI RESIDENCY,
KANKE ROAD,
CHANDANI CHOWK,
MORABADI, RANCHI UNIVERSITY KANKE,
RANCHI,
PIN - 834008
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं GOPI CHAND SAW अन्य नाम PRITAM SAW पिता BHAGATU SAW, शपथ पत्र सं० 19, दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अनुसार GOPI CHAND SAW के नाम से जाना जाऊँगा ।

GOPI CHAND SAW एवं PRITAM SAW दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - H.NO. - 169 RAMAKUNDA,
P.O. - RAMAKUNDA,
P.S. - TOPCHANCHI,
DIST. - DHANBAD,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RAVI KUMAR SINGH, APARSHAKTI SINGH (अन्य नाम BIVAN) का पिता, शपथ पत्र सं० 518, दिनांक 6 जुलाई, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र APARSHAKTI SINGH (जन्म तिथि - 25 नवंबर, 2009) के नाम से जाना जायेगा ।

APARSHAKTI SINGH एवं BIVAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - DIWAKAR NAGAR,
BARIATU RANCHI,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MD SHAHRUK ANSHARI अन्य नाम MD SAHRUKH पिता MD SAHADAT ANSARI, शपथ पत्र सं० 863, दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के अनुसार MD SHAHRUK ANSHARI के नाम से जाना जाऊँगा ।

MD SHAHRUK ANSHARI एवं MD SAHRUKH दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - M/10 DHAMDHAMLYA ROHINI COLONY
TUMANG HESALANG,
VILL. - ROHINI COLONY,
KHALARI, RANCHI,
PIN - 829205
JHARKHAND

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 35-- 50 ।